

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-4/निदे०आ०वि०सं०धा०(वे०आ०)-181-02/2026-118

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी,
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक-17/08/2026

विषय:—वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल राशि ₹19,95,60,729/- (उन्नीस करोड़ पनचानबे लाख साठ हजार सात सौ उन्तीस रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में संलग्न विवरणी के अनुसार राशि ₹19,95,60,729/- (उन्नीस करोड़ पनचानबे लाख साठ हजार सात सौ उन्तीस रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2—कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष-2026-27 में आय व्यय शीर्ष माँग सं०-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0004-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष 0004.01.01-वेतन, 0004.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0004.01.04-मकान किराया भत्ता, 0004.01.05-परिवहन भत्ता, 0004.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0004.11.01-यात्रा व्यय, 0004.13.01-कार्यालय व्यय, 0004.13.04-विद्युत प्रभार, 0004.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ तथा 0004.28.02-संविदा सेवाएँ विपत्र कोड सं०-44-2225022770004 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3— इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4— वित्त विभाग के पत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5— संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

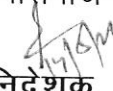
6— संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया जाएगा।

7— आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8— इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9— कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।।

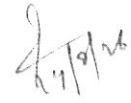
विश्वासभाजन,


निदेशक

ज्ञापांक-4 / निदे0आ0वि0संथा0(वे0आ0)-181-02 / 2026- 118

पटना, दिनांक - 17/08/2026

प्रतिलिपि:-संलग्न विवरणी के साथ महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु0 जनजाति के लिए आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में आवंटित राशि की विवरणी
2225022770004

(राशि रुपया में)

क्र0 सं0	जिला	वेतन (01.01)	जीवन यापन भत्ता (01.03)	मकान किराया भत्ता (01.04)	परिवहन भत्ता (01.05)	चिकित्सा भत्ता (01.06)	कुल वेतनादि (क्रमांक 3 से 7 तक का योग)	यात्रा व्यय (11.01)	कार्यालय व्यय (13.01)	विद्युत प्रभार (13.04)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21.01)	संविदा सेवाएँ (28.02)	कुल आवंटित राशि (क्रमांक 8 से 13 तक का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रोहतास	75,52,000	49,08,800	4,48,000	24,320	1,28,000	1,30,61,120	0	60,000	11,70,000	2,55,20,000	6,00,000	4,04,11,120
2	मम्नुआ	1,69,92,000	1,10,44,800	10,08,000	54,720	2,88,000	2,93,87,520	0	1,40,000	27,30,000	4,88,00,000	14,00,000	8,24,57,520
3	प0 चम्पारण	33,04,000	21,47,600	1,96,000	10,640	56,000	57,14,240	0	20,000	3,90,000	35,60,000	2,00,000	98,84,240
4	जमुई	52,00,000	32,00,000	2,31,000	0	1,20,000	87,51,000	0	25,000	3,00,000	70,00,000	6,00,000	1,66,76,000
5	कटिहार	25,96,000	16,87,400	1,54,000	8,360	44,000	44,89,760	0	20,000	3,90,000	1,22,00,000	2,00,000	1,72,99,760
6	पूर्णियाँ	1,09,31,324	63,31,990	2,11,807	0	2,56,968	1,77,32,089	1,00,000	0	0	1,50,00,000	0	3,28,32,089
	कुल योग	4,65,75,324	2,93,20,590	22,48,807	98,040	8,92,968	7,91,35,729	1,00,000	2,65,000	49,80,000	11,20,80,000	30,00,000	19,95,60,729

कुल राशि (उन्नीस करोड़ पनचानबे लाख साठ हजार सात सौ उनतीस रू0) मात्र

पत्रांक- 118

दिनांक- 17/08/2026 का अनुलग्नक

निदेशक